न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिंह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—3/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/3

अपीलाण्ट :—

1. गणेशा पुत्र हाजारामजी
2. नानजी पुत्र हाजारामजी
3. मेहरा पुत्र हाजारामजी

जातिगण कलवी निवासीगण अणखोल, तहसील चितलवाना जिला जालोर (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट :—

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चितलवाना
2. केसराराम पुत्र श्री जीवाजी
3. भीखाराम पुत्र श्री जीवाजी जाति राईका (देवासी)
4. बगाराम पुत्र पुनमाराम
5. नितेश पुत्र छगना मेघवाल,
6. हरजीराम पुत्र श्री वागाराम
7. प्रेमा पुत्र श्री गिरधारी
8. सुरता पुत्र श्री तारा
9. हडमतराम पुत्र श्री नरसिंह मेघवाल
10. अजीतसिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति राजपूत, तमाम निवासीगण जोधावास, तहसील चितलवाना, जिला सांचौर (राज.)

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू—राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश कमांक/राज/23/76 दिनांक 18.09.2023 उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला जालोर द्वारा पारित किया</u>

उपस्थिति :—
1. श्री घनश्याम सिंह, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री खगारराम पटेल विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: <u>निर्णय</u> ::

दिनांकः— 10.12.24

1. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना के आदेश क्रमांक राज/23/76 दिनांक 18.09.2023 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

10/12/2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्टके अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

मौजा ग्राम जोधावास, पटवार, हल्का अणखोल, भू–अभिलेख निरीक्षक, झाब, तहसील चितलवाना जिला जालोर के खसरा नम्बर 975 रकबा 4.56 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम की कृषि भूमि अपीलाण्ट्स की खातेदारी की स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी महोदय चितलवाना के समक्ष तहसीलदार चितलवाना ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131. 132 एल.आर. एक्ट, व राज. भू. अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत् पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जोधावास के खसरा नम्बर 409, 406, 1495/400, 373, 374/1220, 946, 948, 975, 951, 967/1224, 967, 966, 965/1225, 965, 964, 953 का मौके पर उपरोक्त खसरान में रास्ते के रूप में उपयोग हो रहा है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में किस्म चाही दोयम, जाव दोयम, बारानी प्रथम, बारानी दोयम व बारानी सोयम दर्ज है, इसलिए उक्त खसरान की किस्म से गैर मुमकीन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार चितलवाना के प्रार्थना पत्र पर कानूनी बिन्दुओं को नजरअदांज करते हुए उपरोक्त खसरानमें दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना एवं मौके पर तहसीलदार रिपोर्ट हेतु समस्त खातेदारान को नोटिस दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जिससे प्रिज्यूडिस होकर अपीलाण्ट्स की ओर से उपरोक्त अपील पेश की जा रही है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट्स व अन्य खातेदारान को गैर मुमकीन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने बाबत् तथा किस्म परिवर्तन करने बाबत् किि प्रकार के कोई नोटिस जारी नहीं किये, न ही अपीलाण्ट्स व अन्य खातेदारान को किसी प्रकार की इस बाबत् जानकारी दिये बिना, बिना सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये तथा अपीलाण्ट्स व अन्य खातेदारान को बिना सूचित किये मौका रिपोर्ट बनाकर अवैध, अनुचित व एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करते हुए खातेदारी भूमि की किस्म परिवर्तित कर दी, जो अपीलाधीन आदेश प्रथमदृष्टया निरस्त योग्य है।

विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी खातेदार के विरूद्ध या भी रास्ता दिये जाने की स्थिति में प्रत्येक खातेदार को

10/12/2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

नोटिस के जरिये सूचना दिया जाना व सुना तथा उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनवाया जाना आज्ञापक है. परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी प्रकिया की धजिया उड़ाते हुए एकपक्षीय रूप से विधि के विपरीत आदेश पारित किया है, जो आदेश प्रथम दृष्टया अपास्त योग्य है।

अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में से जो रास्ता दिया जाना बताया गया है वो स्थायी रास्ता चालू नहीं है, न ही स्थायी सार्वजनिक रास्ता है, न ही बारहमासी रास्ता है, ऋतुओं और मौसम के अनुसार उपरोक्त रास्ता बदलता है, ऐसा रास्ता राज. भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के अनुसार नहीं दिया जा सकता है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक पः 3 (2) राज–6/2003/ पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 का हवाला देते हुए विधि व आज्ञापक प्रावधानो के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश द्वारा राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करते हुए भूमि की किस्म परिवर्तित है, जो आदेश अपास्त योग्य है।

खातेदार अमीया पत्नी हाजारामजी के देहांत दिनांक 22.11.2016 को हो गया है, उनके विधिक वारिस अपीलाण्ट्स है, जो अपील अनवान में दर्ज है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमावें तथा अपीलाधीन आदेश कमांक/राज/23/76 दिनांक 18.09.2023 उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला जालोर को अपास्त फरमायें।

6. रेस्पोडेण्टअपीलाण्टके अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

तहसीलदार चितलवाना ने अपनी रिपोर्ट में मौजा जोधावास के खसरा संख्या 408, 409, 406, 1495/400, 373, 374/1220, 946, 948, 975, 951, 967/1224. 967, 966, 965/1225, 965, 964, 953 का मौके पर रास्ते के रूप मे उपयोग हो रहा है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में किस्म चाही दोयम, जाव दोयम, बारानी प्रथम, बारानी दोयम व बारानी सोयम दर्ज है। अतः उक्त खसरा नम्बरान् गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है इसलिए निर्णय को यथावत रखा जावे।

7. प्रकरण में उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। एवं पत्रावली का बगोर अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार चितलवाना के प्रा.पत्र पर उक्त खसरान में दस्तावेज का अवलोकन किये बिना एवं मौके पर तहसीलदार रिपोर्ट हेतु समस्त खातेदारान को नोटिस दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाण्ट को ध्यान पूर्वक नही सुना गया है। अपीलाण्ट को इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानो के अनुसार

10/12/2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

सुना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना के आदेश कमांक/राज/23/76 दिनांक 18.09.2023 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि खसरा नम्बर 941, 948 व 975 की मध्य स्थित सीमा पर मौके पर जिस जगह रास्ता चालू है। मौके पर नाप चौक करवाकर रिपोर्ट प्राप्त कर राजस्व नक्शे में अंकित किया जावे। एवं यह कार्यवाही पूर्ण होने तक रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति कायम रहेगी। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

10/12/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)